सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 14, बुधवार, *शाके* 1942–फरवरी 3, 2021 *Magha 14, Wednesday, Saka 1942- February 3, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

खान (ग्रुप-2)विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 25, 2021

संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट-II:- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्या संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट-II दिनांक 25.06.2018 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं:-

राज्यपाल के आदेश से,
ओम कसेरा,
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, जून 25, 2018

जी.एस.आर.57- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम,1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं- 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान गौण खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2.नियम 12 का संशोधन.- राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 2017, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 12 के द्वितीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "निजी भूमि के मामले में खनिज रियायत चाहने वाला भूस्वामी", के स्थान पर अभिव्यक्ति "चार हैक्टेयर से अधिक खातेदारी भूमि के मामले में, खनिज रियायत चाहने वाला खातेदार प्रतिस्थापित किया जाता है ।

3.नियम 13 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 13 के उप नियम (1) के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "भूस्वामियों", जहां कहीं आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "खातेदारों" प्रतिस्थापित किया जाता है ।

4.नियम 14 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 14 में,-

(i) उपनियम (4) के खण्ड (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "भूस्वामियों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खातेदारों" प्रतिस्थापित किया जाता है; और

(ii) उप नियम (8) में,-

(क) खण्ड (vi) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "निजी भूमि अन्तर्विष्ट है तो ई-नीलामी की समाप्ति पर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता भूस्वामी को" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खातेदारी भूमि अन्तर्विष्ट है तो ई-नीलामी की समाप्ति पर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता खातेदार को" प्रतिस्थापित किया जाता है ।

(ख) खण्ड(vii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "भूस्वामी", जहां कहीं आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "खातेदार" प्रतिस्थापित किया जाता है ।

(ग) खण्ड(viii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "भूस्वामी" जहां कहीं आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "खातेदार" प्रतिस्थापित किया जाता है ; और

(घ) खण्ड(viii) के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "भूस्वामियों", के स्थान पर अभिव्यक्ति "खातेदारों" प्रतिस्थापित किया जाता है ।

5. नियम 16 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 16 के उप-नियम (2) के खण्ड (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "निजी भूमि में मामले में मंशा-पत्र जारी किये जाने की तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर भू-स्वामी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चार हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र की खातेदारी भूमि के मामले में मंशा-पत्र जारी किये जाने की तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर खातेदार" प्रतिस्थापित किया जाता है ।

6. नियम 17 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 17 के उप-नियम (2) के खण्ड (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "निजी भूमि के मामले में मंशा पत्र जारी किये जाने की तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर भू-स्वामी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चार हैक्टयर से अधिक क्षेत्र की खातेदारी भूमि के मामले में मंशा पत्र जारी किये जाने की तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर खातेदार" प्रतिस्थापित किया जाता है ।

7. नये नियम 17क का अन्तःस्थापन.- उक्त नियमों के इस प्रकार संशोधित नियम 17 के पश्चात् और विद्यमान नियम 18 के पूर्व निम्नलिखित नया नियम 17क अन्तः स्थापित किया जाता है, अर्थात्

" 17क. खातेदारी भूमि मे खनन पट्टा या खदान अनुज्ञप्ति की मंजूरी-

(1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संबंधित खातेदार को खातेदारी भूमि में खनन पट्टा या खदान अनुज्ञप्ति की मंजूरी, क्रमशः वार्षिक स्थिर भाटक या अनुज्ञप्ति फीस के पांच गुने के समतुल्य प्रीमियम रकम के भुगतान किए जाने के अध्यधीन होगी। प्रीमियम राशि वार्षिक स्थिर भाटक या, अनुज्ञप्ति फीस, के विरूद्ध समायोजित नहीं की जायेगी।

(2) अधिकतम क्षेत्र चार हैक्टेयर होगा और न्यूनतम क्षेत्र,-

(i) खनन पट्टे की दशा में, एक हैक्टेयर; और

(ii) खदान अनुज्ञप्ति की दशा में, नियम 8 के उप-नियम (2) के अनुसार होगा।

(3) प्रीमियम की राशि पांच किस्तो में निम्नलिखित रीति से संदत्त की जायेगी :-

(i) प्रथम किस्त, खनन पट्टा विलेख के निष्पादन या खदान अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने के पश्चात् प्रथम वित्तीय वर्ष (अर्थात 31 मार्च) की समाप्ति से पूर्व प्रीमियम राशि का बीस प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण : उदाहरण के लिए, यह धारणा करते हैं कि खनन पट्टा नवम्बर माह में निष्पादित हुआ है तो प्रथम किस्त उत्तरवर्ती वर्ष के मार्च माह की समाप्ति से पूर्व संदत्त की जाएगी।; और

(ii) द्वितीय और पश्चात्वर्ती तीन किस्तें, क्रमिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रीमियम राशि में बीस प्रतिशत;

(4) खनन पट्टा या खदान अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन शुल्क दस हजार रूपये की अप्रतिदेय फीस के साथ, संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को प्रारूप - 1 में ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।

(5) खनन पट्टे या खदान अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए प्रत्येक ऑनलाईन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्केन प्रतियां संलग्न की जायेंगी, अर्थात्

(i) स्थायी खाता संख्यांक कार्ड (PAN) या करदाता पहचान संख्यांक (TIN) की प्रति;

(ii) फोटो पहचान और पते के सबूत के लिए चालन अनुज्ञप्ति या मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड की प्रति;

(iii) भागीदारी फर्म की दशा में, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 या परिसीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन जारी भागीदारी विलेख ओर फर्म पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति या कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन पंजीकृत कंपनी की दशा में संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद और निगमन प्रमाणपत्र की प्रति;

(iv) कंपनी की ओर से आवेदन करने पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के पक्ष में निदेशक बोर्ड द्वारा पारित संकल्प पत्र की प्रति;

(v) जहां आवेदन पर सभी भागीदारों या, यथास्थिति, व्यष्टियों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये हो, ऐसी फर्म या व्यष्टि संगम की ओर से आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के पक्ष में पंजीकृत मुख्तारनामे की प्रति;

(vi) संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता से अदेयता प्रमाणपत्र की प्रति यदि आवेदक या उसके कुटुंब का सदस्य राज्य में कोई भी खनिज रियायत या रॉयल्टी या अधिक रॉयल्टी संविदा धारित करता है या धारित की हैः

परन्तु ऐसा प्रमाणपत्र व्यष्टि संगम के सभी सदस्यों या भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों या प्राईवेट परिसीमित कंपनी के सभी निदेशकों द्वारा भी दिया जायेगा यदि आवेदक व्यष्टि संगम या भागीदारी फर्म या, यथास्थिति, प्राईवेट परीसिमित कंपनी है। परिसीमित कंपनी या, यथास्थिति,सरकारी उपक्रम की दशा में कंपनी या उपक्रम द्वारा अदेयता प्रमाणपत्र भी दिया जायेगा ।

परन्तु यह और कि सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा शोध्यों पर रोक लगाते हुए कोई व्यादेश जारी किया गया है तो उसके असंदाय को खनन पट्टे की मंजूरी के लिए निर्रहता नहीं माना जायेगा:

परन्तु यह भी कि अदेयता प्रमाणपत्र की वहां अपेक्षा नहीं की जायेगी जहां आवेदक फर्म के भागीदारों, प्राईवेट परिसीमित कंपनी के निदेशकों, व्यष्टि संगम, परिसीमित कंपनी या सरकारी उपक्रम के सदस्यों ने, सरकार के समाधानप्रद रूप में, यह कथन करते हुए शपथपत्र दे दिया है कि वह या उसका कुटुंब का सदस्य राज्य में कोई खनिज रियायत, रॉयल्टी या अधिक रॉयल्टी संग्रहण धारित नहीं करता है या धारित नहीं की है;

(vii) आवेदक द्वारा खनिज रियायत के अधीन पहले से धारित क्षेत्रों की, जिनमें अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से धारित क्षेत्र, आवेदित किन्तु मंजूर नहीं किया गया हो और मंजूर किन्तु संविदा निष्पादित या पंजीकृत नहीं किया गया क्षेत्र भी सम्मिलित है, विशिष्टयां देते हुए शपथपत्र की प्रति;

(viii) व्यष्टि या व्यष्टि संगम या फर्म के सभी सदस्यों या भागीदारी फर्म या कंपनी के सभी भागीदारों या कंपनी या, यथास्थिति, सरकारी उपक्रम के सभी निदेशकों का ई-मेल पता और मोबाईल नंबर;

(ix) आवेदक और समस्त भागीदारों, सदस्यों या निदेशकों का हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो यदि आवेदक फर्म या व्यष्टि संगम या, यथास्थिति, कंपनी है;

(x) आवेदित क्षेत्र के किनारें के खंभो के डब्ल्यूजीएस 84 डेटम में अक्षांश और देशान्तर के साथ आवेदित क्षेत्र योजना और वर्णन रिपोर्ट की प्रति; और

(xi) खसरा नक्शा ट्रेस, खसरा या आराजी संख्यांक, जमाबंदी और आवेदित क्षेत्र में आने वाले खसरा या आराजी के क्षेत्र की सीमा के साथ आवेदित क्षेत्र के राजस्व ब्यौरे की और परतदार नक्शे की प्रति।

(6) उप-नियम (4) के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन पत्र की अभिस्वीकृति आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के समय प्रारूप-2 में ऑनलाईन दी जायेगी।

(7) उप-नियम (5) में यथावर्णित स्व-प्रमाणित दस्तावेजों के साथ सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित आवेदन पत्र उसके ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से पंद्रह दिवस की कालावधि के भीतर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को भौतिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा और उसकी अभिस्वीकृति संबंधित कार्यालय द्वारा दी जायेगी।

(8) इस नियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, नियम 16 या, यथास्थिति, नियम 17, के उपबंध इस नियम के अधीन, खनन पट्टे या, यथास्थिति, खदान अनुज्ञप्ति की मंजूरी को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे और आवेदन पत्र पर विनिश्चय की सूचना रजिस्ट्रकृत पते और आवेदक के ई-मेल पर दी जायेगी।

(9) जहां यह प्रतीत हो कि आवेदन पत्र सभी तात्विक विशिष्टियों में पूर्ण नहीं है या उसके साथ अपेक्षित दस्तावेज नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी तीस दिवस का नोटिस जारी करके सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आवेदन को नामंजूर करेगा और जमा आवेदन फीस और प्रीमियम रकम समपहृत करेगा।

(10) राजस्थान गौण खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 के प्रारम्भ से पूर्व बोली आमंत्रित करने की सूचना के प्रकाशन के अनुसरण में कोई नीलामी संचालित होने या संचालित किए जाने या किसी खनन पट्टे या खदान अनुज्ञप्ति की मंजूरी की दशा में, इस नियम के उपबंध लागू नहीं होंगे"।

8. प्रारूप-1 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्रारूप-1 में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति ''खनन पट्टे के लिए आवेदन पत्र {नियम 4(2) देखिए}'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''खनन पट्टे / खदान अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन, {नियम 4(2) और 17क (4) देखिए}'' प्रतिस्थापित की जाती है,

(ii) क्रम संख्यांक 1 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''खनन पट्टा'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''खनन पट्टा / खदान अनुज्ञप्ति '' प्रतिस्थापित की जाती है।

(iii) क्रम संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''नियम 4(2)'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''नियम 4(2) और 17क(4)'' प्रतिस्थापित की जाती है;

(iv) क्रम संख्यांक 8(क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''नियम 4(3)(x)'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''नियम 4(3)(x) और 17क(5)(x)'' प्रतिस्थापित की जाती है; और

(v) क्रम संख्यांक 8(ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''नियम 4(3)(xi)'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''नियम 4(3)(xi) और 17क(5)(xi)'' प्रतिस्थापित की जाती है;

9.प्रारूप-2 का संशोधन.- उक्त नियमों में संलग्न प्रारूप-2 में.-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति ''खननपट्टा {नियम 4(5) देखिए}'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''खनन पट्टा/खदान अनुज्ञप्ति {नियम 4(5) और 17क(6) देखिए}'' प्रतिस्थापित की जाती है; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति ''खनन पट्टे के लिए'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''खनन पट्टो/ खदान अनुज्ञप्ति के लिए '' प्रतिस्थापित की जाती है;

[सं. एफ.14(9)खान/ग्रुप-2/2015-पार्ट-II]

राज्यपाल के आदेश से,
ललित कुमार,
संयुक्त शासन सचिव

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।